

राजस्थान सरकार  
राजस्व(युप-6)विभाग

क्रमांक ५० ६(७)राज-४ / ७७ / २

जयपुर, दिनांक: ११.१.२००८

समरत संभागीय आयुक्त, राज०।  
समरत जिला कलेक्टर, राज०।

आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या क्र० ६(७)राज-४ / ७७ / १५ दि० १६.१०.२००१ के क्रम में सिवायचक भूमियों पर दि० १५.७.९४ तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये थे। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नियमन की तिथि दि० १५.७.९४ को बढ़ाकर दि० १.१.२००० कर दिया जायें।

१. राज० भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, १९७० के नियम २० में अतिक्रमणों को नियमन करने का प्रावधान है। उपर्युक्त अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के विशिष्ट या सामान्य अनुदेशों के अधीन अतिक्रमी को बेदखल करने के बजाय उसे नियमित कर दे बशर्ते कि वह भूमिहीन है तथा उसके पास समस्त भूमि जिसमें अतिक्रमित भूमि भी सम्मिलित है, नियमों में दी गई सीमा से अधिक नहीं हों। भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा राजकीय कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के मामलों को निम्न शर्तों पर नियमित किया जायें:-
  - (i) नियमन के समय प्रीमियम या शारित नहीं ली जाय किन्तु जिस अवधि में भूमि पर अवैध कब्जा रहा हो उस अवधि का भू राजस्व वसूल किया जायेगा।
  - (ii) व्यक्ति के पास कुल भूमि जिसमें नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित है, ४ हैक्टेयर असिंचित भूमि से अधिक न हों।
  - (iii) अतिक्रमित भूमि राज० भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, १९७० में उल्लेखित आवंटन के लिये प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में नहीं आती हों।
२. निम्न भूमियों का नियमन नहीं किया जायेगा:-
  - (i) राज० काश्तकारी अधिनियम, १९५५ की धारा १६ में वर्णित भूमियां।
  - (ii) चारागाह, औरण, जोहड़, पायतन, नदी, तालाब के पेटे श्मशान, कब्रिस्तान व मन्दिरों की भूमियां।
  - (iii) डी.बी. सिविल रिट प्रिटिशन नं. १५३६/२००३ अब्दुल रहमान बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक २.८.२००४ में वर्णित भूमियां।
  - (iv) वन विभाग के नाम दर्ज भूमियां।
  - (v) किसी उद्देश्य हेतु अवाप्तिशुदा भूमियां, राजकीय उपक्रम या राजकीय विभाग की भूमियां।
  - (vi) वायुयानों के उत्तराई स्थल के रूप में सीमाकिंत भूमियां।
  - (vii) राज० वन अधिनियम १९५३ (अधिनियम सं ५३ सन् १९५३) की धारा ४ के अधीन संघटित ग्राम्य वनों के लिये आरक्षित भूमियां।